कक्षा 12 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार योजना

1. योजना :

वर्ष 2008-09 से कक्षा 12 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को एक मुश्त 3000/- रूपये का प्रोत्साहन पुरस्कार राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा।

2. पात्रता :

1. इस योजना के अन्तर्गत घोषित पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिए वे सभी बालिकाएं पात्र होंगी जिन्होंने वर्ष 2008 की उच्च माध्यमिक परीक्षा में राजकीय/गैर राजकीय अनुदानित विद्यालय में अध्ययनरत रह कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से परीक्षा देकर 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये है।

2. योजना में लाभान्वित होने वाली बालिकाओं के अभिभावकों की आय, व्यवसाय एवं वर्ग आदि का कोई बन्धन नहीं है।

3. लाभान्वित होने वाली बालिकाओं के आगे अध्ययनरत होना भी आवश्यक नहीं है।

3. क्रियान्विति :

इस योजना की क्रियान्विति माध्यमिक शिक्षा विभाग, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज0 अजमेर के द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। इनके द्वारा करणीय कार्यवाही इस प्रकार है :

1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

उच्च माध्यमिक परीक्षा, 2008 में विभिन्न संकायों में नियमित/स्वयंपाठी रहकर 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के नामों, की जिलेवार सूचियां बनाकर आयुक्तालय एवं बालिका शिक्षा फाउण्डेशन को उपलब्ध करवाना।

i. परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि के दस दिवस में।
ii. दिनांक 31.7.2008 तक पुनः पुष्टि करते हुए समेकित सूचियां भिजवाना।

बोर्ड के उच्च माध्यमिक परीक्षा के परिणाम अधिकतम जून माह में घोषित कर दिये जाते है। अतः ये सूचनाऐं यथा समय उपलब्ध करवाई जा सकती है। प्रारूप इस प्रकार होगा :

क्र.सं.	नामांक	छात्रा का नाम एवं पिता का नाम	केन्द्र/विद्यालय का नाम	प्राप्तांक प्रतिशत

2. माध्यमिक शिक्षा विभाग :

- बोर्ड से प्राप्त सूची के अनुसार जिलेवार संख्या के आधार प्रति छात्रा 3000/- रूपये की दर से राशि बजट बालिका शिक्षा फाउण्डेशन को उपलब्ध करवाना।
- यदि राज्य सरकार/आयुक्तालय से राशि का बजट उपलब्ध कराने में विलम्ब हो तो एक बार बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा अपने फण्ड में से राशि उपलब्ध करवाना।

3. बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, राजस्थान
   - प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए प्रशस्ति पत्र तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) को उपलब्ध कराना।
   - जिलेवार वास्तविक मांग के अनुसार राशि के ड्राफ्ट जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) को उपलब्ध करना।
   - जिलों से हिसाब प्राप्त कर समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र आयुक्तालय को उपलब्ध कराना।

4. पुरस्कार वितरण :
   - बालिकाओं को पुरस्कार का वितरण, स्वतन्त्रता दिवस, को जिला प्रशासन द्वारा आयोज्य समारोह में किया जायेगा।
   - बालिकाओं को पुरस्कार के अन्तर्गत 3000/- रूपये राशि का ड्राफ्ट एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।
   - जो बालिकाएं समारोह में पुरस्कार लेने के लिए उपस्थित नहीं हो सकेगी, उन्हें यह पुरस्कार संबंधित संस्था प्रधान द्वारा बालिका तक पहुंचाया जायेगा।